न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 284/2020

1. रामनिवास पुत्र जसवंत जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. जसवंत पुत्र भूराराम उर्फ भूर जी जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
2. राकेश पुत्र जसवंत जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: वादी**
वकील श्री सतवीर बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 25/02/2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा घोटडा पट्टा के खाता सं0 13/12 के खसरा सं0 12 की 12.0270है0, खसरा सं0 19 की 6.3610है0, खसरा सं0 39 की 3.1620है0, खसरा सं0 144 की 0.4550है0 कुल 22.0050है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जसंवत के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मोजा किकराली के खाता सं0 104/19 के खसरा सं0 50 की 3.4140है0, खसरा सं0 127 की 8.9540है0, खसरा सं0 134 की 0.5060है0, खसरा सं0 193 की 5.8300है0 कुल 18.7040है0 बारानी खातेदारी के 7.645है0 में प्रतिवादी सं0 1 जसवंत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता भूराराम उर्फ भूर जी की खातेदारी हुआ करती थी। भूराराम उर्फ भूर जी से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 जसवंत ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। [illegible] की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्र[illegible] राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:01 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रामनिवास पुत्र जसवंत जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम घोटडा पट्टा खाता सं0 13/12 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही किकराली खाता सं0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

19 संवत 2077-80 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही किकराली संवत 2063 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मोटला पट्टा संवत 2064 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मोटला पट्टा व किकराली के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में जसवंत के दो पुत्र रामनिवास व राकेश के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा डूंगराना के खाता सं0 13/12 के खसरा सं0 12 की 12.0270है0, खसरा सं0 19 की 6.3610है0, खसरा सं0 39 की 3.1620है0, खसरा सं0 144 की 0.4550है0 कुल 22.0050है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जसंवत के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मोजा किकराली के खाता सं0 104/19 के खसरा सं0 50 की 3.4140है0, खसरा सं0 127 की 8.9540है0, खसरा सं0 134 की 0.5060है0, खसरा सं0 193 की 5.8300है0 कुल 18.7040है0 बारानी खातेदारी के 7.645है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 जसवंत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा डूंगराना के खाता सं0 13/12 के खसरा सं0 12 की 12.0270है0, खसरा सं0 19 की 6.3610है0, खसरा सं0 39 की 3.1620है0, खसरा सं0 144 की 0.4550है0 कुल 22.0050है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जसंवत के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मोजा किकराली के खाता सं0 104/19 के खसरा सं0 50 की 3.4140है0, खसरा सं0 127 की 8.9540है0, खसरा सं0 134 की 0.5060है0, खसरा सं0 193 की 5.8300है0 कुल 18.7040है0 बारानी खातेदारी के 7.645है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 जसवंत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामनिवास व प्रतिवादी सं0 1 जसवंत व प्रतिवादी सं0 2 राकेश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। ... बाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:01 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 284/2020

1. रामनिवास पुत्र जसवंत जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. जसवंत पुत्र भूराराम उर्फ भूर जी जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
2. राकेश पुत्र जसवंत जाति जाट निवासी घोटडा पट्टा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

आज यह वांद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल वेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 13/12 के खसरा सं0 12 की 12.0270है0, खसरा सं0 19 की 6.3610है0, खसरा सं0 39 की 3.1620है0, खसरा सं0 144 की 0.4550है0 कुल 22.0050है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 जसंवत के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा किकराली के खाता सं0 104/19 के खसरा सं0 50 की 3.4140है0, खसरा सं0 127 की 8.9540है0, खसरा सं0 134 की 0.5060है0, खसरा सं0 193 की 5.8300है0 कुल 18.7040है0 बारानी खातेदारी के 7.645है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 जसवंत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामनिवास व प्रतिवादी सं0 1 जसवंत व प्रतिवादी सं0 2 राकेश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-02-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner